(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड-(i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं०.14/2016-सेवाकर

दिनांकः 13 अप्रैल, 2017

सा.का.नि........(अ)- वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 67(क) की उपधारा (2) और धारा 94 की उपधारा (2) के उपवाक्य (क) और उपवाक्य (जजज) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार पाइंट आफ टैक्सेशन रूल्ज, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम पाइंट आफ टैक्सेशन (संशोधन) रूल्ज, 2017 है।

(2) ये 22 जनवरी,2017 से लागू होंगे।

2. पाइंट आफ टैक्सेशन रूल्ज, 2011 में, नियम 8(क) के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"**8ख गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को दी गई सेवाओं के मामले में कराधान के बिंदु का निर्धारण-** इन नियमों में विहित किसी भी बात के बावजूद कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं के मामले में कराधान का बिंदु, निर्यात के बंदरगाह पर जहाज में ऐसी वस्तुओं की लदाई के बिल की तारीख होगी"

(फा०सं० 354/42/2016-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: प्रधान नियम दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 18/2011-सेवाकर के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड-(i) में दिनांक 1 मार्च, 2011 की सा.का.नि. सं 175(अ), के तहत प्रकाशित किए गए थे और इनमें भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड-(i) दिनांक 13 अप्रैल, 2016 को सा.का.नि.सं० 421(अ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 24/2016-सेवाकर, दिनांक 13 अप्रैल, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।